



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 1

PART III—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10]	नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 18, 2018/श्रावण 27, 1940
No. 10]	NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 18, 2018/SHRAVANA 27, 1940

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2018

सं. 2018/ई एण्ड आर/1(3)/12.—आम सूचना के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि परिचालनिक आवश्यकताओं के मद्देनजर, केन्द्र सरकार ने उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल और उत्तर पश्चिम रेलवे के बीकानेर मंडल के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है।

उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल के क्षेत्राधिकार को रोहतक-भिवानी लाइन पर भिवानी की ओर मौजूदा 0.800 कि.मी. से 6.600 कि.मी. तक बढ़ा दिया गया है। उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल और उत्तर पश्चिम रेलवे के बीकानेर मंडल के बीच की नई सीमा अब रोहतक-भिवानी लाइन पर 6.600 कि.मी. होगी।

उक्त क्षेत्राधिकार में किए गए परिवर्तन 1 सितम्बर, 2018 से प्रभावी होंगे।

रंजनेश सहाय, सचिव

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2018

No.2018/E&R/1(3)/12.—It is hereby notified for general information that keeping in view the operational requirements, Central Government has decided to revise the jurisdiction of Delhi Division of Northern Railway and Bikaner Division of North Western Railway.

The jurisdiction of Delhi Division of Northern Railway has been extended from existing 0.800 km to 6.600 km towards Bhiwani on Rohtak-Bhiwani Line. The new boundary between Delhi Division of Northern Railway and Bikaner Division of North Western Railway will be 6.600 km on Rohtak-Bhiwani Line.

The changes in the above jurisdiction will come into effect from 1<sup>st</sup> September, 2018.

RANJANESH SAHAI, Secy.